## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या / 1015 / 2015 / टोंक

2. अपील संख्या / 1016 / 2015 / टोंक

3. अपील संख्या / 1017 / 2015 / टोंक

मैसर्स सिद्धी विनायक एसोसियेटस, टोंक।

....अपीलार्थी

मैसर्स उदयवाल मोटर्स प्रा० लि० टोंक।

....अपीलार्थी

मैसर्स पोरवाल ट्रेडिंग कम्पनी, अलीगढ, टोंक।

....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–टोंक।

....प्रत्यर्थी

<u>एकलपीठ</u> श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दौसाया, अभिभाषक। श्री आर. के. अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/04/2018

## निर्णय

- 1. अपीलार्थी—व्यवहारी द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, टोंक (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् प्रत्यर्थी—व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए निम्नानुसार विलम्ब शुल्क को यथावत रखा गया है।
- 2. इन तीनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।
- प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :--

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश		विलम्ब शुल्क
		क्रमांक	दिनांक	वर्ष	दिनांक	
1.	1015/2015	84 / 13—14 / वैट / टोंक	16.03.15	2013-14	20.12.2013	37,566
2.	1016/2015	98 / 13-14 / वैट / टोंक	16.03.15	2013-14	06.01.2014	50,000
3.	1017/2015	86 / 13-14 / वैट / टोंक	16.03.15	2013-14	19.12.2013	50,000

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि प्रत्यर्थी—व्यवहारी के द्वारा आलौच्य वर्ष 2011—12 का प्रथम त्रैमासिक विवरण प्रपत्र वैट—10 की हार्ड कॉपी को समय पर पेश नहीं करने पर 233 दिन विलम्ब पर वैट नियम—19ए के तहत विलम्ब राशियों को सृजित किया गया, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।

लगातार.....2

प्रत्यर्थी—व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान तर्क किये कि -विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी—व्यवहारी पर विलम्ब शुल्क कायम की गई है उसे अविधिक व आधारहीन बताते हुए अपास्त किये जाने का निवेदन किया। आगे निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के द्वारा प्रथम तिमाही बिक्री विवरणी वैट-10 को नियत समय पर ऑन लाईन 29.08.2011 को पेश करके अगले दिन विभाग में हार्ड कॉपी प्रस्तुत किया जाना बताया तथा आगे बताया कि विभाग में पेश हार्ड कॉपी की पावती की कोई रसीद वापस नहीं दी जाती है। आगे निवेदन किया कि रिटर्न से संबंधित मैनुअल कागजात देरी से जमा कराने के पीछे व्यापारी की कोई दुर्भावना साबित नहीं होना बताया तथा इससे विभाग को किसी प्रकार का टैक्स का नुकसान भी नहीं होना बताया। आगे निवेदन किया कि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क सृजित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थी—व्यवहारी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह जाहिर किया कि प्रथम तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र उन्होंने दिनांक 29. 08.2011 को विभागीय वेबसाईट पर प्रस्तुत करके उसकी हार्ड कॉपी समय पर विभाग में प्रस्तुत कर दी है विभाग द्वारा पावती की रसीद कभी भी नहीं दी जाती, वेबसाईट पर प्रस्तुत रिटर्न की प्रति संलग्न होने पर भी मेरे (व्यवसायी) पर शास्ति आरोपित कर दिये जाने को उचित नहीं बताया।

5. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। विवरण प्रस्तुत करने के संदर्भ में विधिक धारा 21, नियम 19 व नियम 19ए में निम्न प्रकार है :-

Sec. 21. FILING OF RETURN - (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may he prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner. (2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall Purnish return for such period in such from and manner and within such time as may be spci iied. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest SO to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns of may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.

राज्य सरकार के नियम 19 में दिनांक 09.03.2011 को संशोधन कर निम्न प्रावधान किये गये :- 19(1) Returns - (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT 10, VAT 10A and VAT 11 as the case may be,

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official website of the Department and

लगातार.....3

shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s), failure to do so shall be deemed to he a case of non filing of returns(s)"

- (3) Where the amount of tax, interest or late fee, if not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of ehallan in Form VAT-37, receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, within fifteen days of the last date for filing or such returns (s),
- (4) Return in Form VAT I shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers: (a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3:or (h) who exclusively deals in goods; (1) which are exempted under the Act; or (ii) on which option to pay tax in lump sum has been exercised under section 5, or (iii) which are taxable at first point in the series of sales and the goods have suffered tax at the said -first poin; or (iv) which are taxable at maximum retail price under sub-section (7) of section 4 and such goods have suffered lax at maximum retail price under the said sub-section; or (v) which are exempted under sub-section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee; or (vi) as may be notified by the Commissioner.
- (5) Return in Form VAT- 10 shall he submitted by all dealers other than those enumerated in sub-rule (4) above, along with statement of purchase in Form VAT07A and statement of sales in Form VAT-08A,
- (a) within sixty days of the end of the quarter by the dealers who have depsited less than Rs. 50,000/- as tax under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 including the Central Sales Tax Act, 1956, during the previous year.
- (b) within forty five days of the end of the quarter by the dealers other than enumerated in clause (a) above.

Explanation Quarter menas the period of three months ending on 30th June, 301li September, 31 December and 31 March and month shall mean calendar month.

- (6) Annual Return in Form VAT shall be submitted by all dealers covered under subrule(5) within [ten month] from the end of the relevant year.
- (7) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business. (8) Where a dealer discovers any omission orerror in [Form VAT 10 or Form VAT | VAT 1 1] furnished by him, he may furnish revised return at any time prior to the due date of filing annual return or audit report or on receipt of the notice under subsection (1) of section 24, whichever is earlier.
- (9) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) to (7) above, the return(s) for the period prior to 01-04-2011 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period [(10) Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of dut tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted it shall be deemed to be case of

लगातार.....4

non-filing of the return.

व्यवहारीगण ने विचाराधीन प्रकरणों में विहित तरीके से विहित समय में विवरणियों को प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण विवरणियों हेतु नियम 19ए(iii) के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण करने के बाद उनकी Acknowledgement receipt कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की है, चूंकि विलम्ब शुल्क शास्ति नहीं है बल्कि विवरणियों के विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शुल्क का निर्धारण है, जिसके लिये नोटिस दिये जाना अपेक्षित नहीं है। उक्त राशि विलम्ब होने पर अपीलार्थी को स्वयं ही विवरणीयों के साथ जमा करवाना चाहिये था। नियम 19 एवं 19ए के संबंधित उपबंध इस प्रकार से थे :—

"The Rule 19 (2) as existed on 01.04.2011, was as under: "(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, '[within fifteen days of the last date offihing of such return(s)], failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s) filing"

For the period 01.04.2011 to 31.03.2012 (as substituted by the amendment dated 09.03.2011 w. e.f 01. 04.2011) "19A Late fee. - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of(i) rupees one hundred per day for a period of first fifteen days and rupees five hundred per day thereafter, subject to a maximum of rupees fifty thousand or thirty percent of the tax assessed whichever is lower, in case he is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

इस प्रकार विचाराधीन प्रकरणों में अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि यदि इन प्रकरणों में हमारी रिर्टन Non Filing of Return की श्रेणी में मानी जाती है तो माननीय कर बोर्ड के वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 07.03.2018 के अनुसार उस पर कोई लेट फीस देय नहीं होती है, परन्तु रेकार्ड से स्पष्ट है कि इन समस्त प्रकरणों में व्यवहारीगण ने या तो रिर्टन देरी से प्रस्तुत की है तथा रिर्टन प्रस्तुत करने के प्रमाण स्वरुप Acknowledgement की प्रति नियत अवधि में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की है। अतः अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार इसे Non-filing of return नहीं कह सकते। इसी प्रकार कर बोर्ड के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 18.07.2018 अपील संख्या 2251/2015/बीकानेर के निर्णय की वृहदपीठ द्वारा पुष्टि की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स सुनील बनाम कर निर्धारण अधिकारी अपील संख्या 1063/2015/टोंक में दिये गये निर्णय दिनांक 07.03.2018 के अनुसरण में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है। नियम 19A के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क यथावत रखा जाता है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

( मदन लाल मालवीय ) सदस्य